कार्यालय : जिला साक्षरता समिति, दुमका

राजकीय पुस्तकालय परिसर (विकास भवन के बगल में)

दुमका - 814101 (झारखण्ड)

☎ : 06434-236248, e-mail : zssdumka@gmail.com

साक्षर भारत

पत्रांक : ..../जि.सा. दुमका, दिनांक : ....

अल्पकालीन निविदा सूचना

साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत स्वयं सेवक आधारित साक्षरता केन्द्रों के लिए निम्नलिखित सामग्रियों के क्रय हेतु आपूर्त्तिकर्त्ताओं से मुहरबंद अल्पकालीन निविदा दिनांक 16.1.12.2016 के .....01....... बजे पूर्वाह्न/अपराह्न तक जिला साक्षरता समिति कार्यालय, दुमका (अवस्थित - राजकीय पुस्तकालय, दुमका) में आमंत्रित की जाती है -

क्र०	सामग्री का नाम	विवरण	संख्या
1	2	3	4
1	अभ्यास पुस्तिका	92 पृष्ठ का, साईज-25 सेमीx17 सेमी, प्रिन्टेड सॉफ्ट कभर सहित (60 GSM)	1,26,000 अदद्
2	उपस्थिति पंजी	1/4 साईज - 08 पृष्ठ का, प्रिन्टेड सॉफ्ट कभर सहित (60 GSM)	12,600 अदद्
3	पेन्सिल (HB)	नटराज, अप्सरा, कैमेल	1,26,000 अदद्
4	रबड़	नटराज, केमलीन, रेनोल्डस्	1,26,000 अदद्
5	कटर	नटराज, अप्सरा, कैमेल	1,26,000 अदद्
6	चॉक	50 स्टीक का पैकेट (उत्कृष्ट ब्रांड)	50,400 पैकेट
7	डस्टर	उत्कृष्ट ब्रांड	12,600 अदद्
8	रोलिंग ब्लैक बोर्ड	साईज - 3¼ फीट x 4¼ फीट	12,600 अदद्

प्राप्त निविदा दिनांक 16.1.12.2016 के अपराह्न ......03...... बजे उपायुक्त, दुमका के कार्यालय कक्ष में निविदादाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी। अभ्यास पुस्तिका/ उपस्थिति पंजी/ रोलिंग ब्लैक बोर्ड का नमूना जिला साक्षरता समिति कार्यालय, दुमका में कार्यालय अवधि में अवलोकन किया जा सकता है।

शर्त्तें :-

1. निविदा के साथ नमूना देना अनिवार्य है। एक सामग्री हेतु एक ही नमूना एवं दर मान्य होगा।
2. निविदादाताओं को अपने निविदा के साथ वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 का आयकर विवरणी एवं वाणिज्यकर का निबंधन प्रमाण पत्र तथा अद्यतन स्वच्छता प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदा के साथ जमानत राशि के रूप में 50,000/- (पचास हजार) रुपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक, जो उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, दुमका के पदनाम से होगा, संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदा में अंकित दर में सभी प्रकार का कर समाहित होगा। इसके लिए अलग से किसी भी प्रकार का कोई कर देय नहीं होगा।
5. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6. स्वीकृत निविदादाताओं को एकरारनामा कार्यान्वित करना होगा कि वे एकरारनामा की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर सामग्रियों की आपूर्त्ति करेंगे। निर्धारित तिथि तक सामग्रियों की आपूर्त्ति नहीं किये जाने पर जमानत की राशि जप्त करते हुए नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जायेगी तथा आपूर्त्ति आदेश रद्द भी किया जा सकता है।
7. स्वीकृत निविदादाताओं को जिला साक्षरता समिति, दुमका द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अन्दर सामग्रियों की आपूर्त्ति जिला साक्षरता समिति कार्यालय, दुमका में पहुँचाकर करनी होगी, जिसके लिए अलग से किसी भी प्रकार का कोई परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
8. क्रय की जाने वाली सामग्रियों की संख्या घटायी अथवा बढ़ायी जा सकती है।
9. किसी भी समय निविदा को आंशिक अथवा पूर्णरूपेण रद्द करने का अधिकार उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, दुमका को सुरक्षित रहेगा।

7/12/16

जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-सचिव,
जिला साक्षरता समिति, दुमका

ह0/-

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला साक्षरता समिति, दुमका

ज्ञापांक : ...155........./जि.सा., दुमका, दिनांक : 07.12.2016

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, दुमका को dumka.nic.in वेबसाईट पर अपलोड करने का निदेश के साथ प्रेषित।

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
जिला साक्षरता समिति, दुमका